

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या--3/कृ० बजट आवंटन--16/2013-- 158 (आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक 18-10-2013

Fax/Mail

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

विषय:

बिहार हार्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2013-14 में 384.35 करोड़ रुपये (तीन अरब चौरासी करोड़ पैंतीस लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना के लिए व्यय हेतु स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मद से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों के लिए 6.00 लाख रुपये (छ: लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹6,00,000 (छ: लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय रवीकृत्यादेश संख्या-4914, दिनांक-01.10.2013 द्वारा बिहार हार्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2013-14 में 384.35 करोड़ रुपये (तीन अरब चौरासी करोड़ पैंतीस लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना के लिए व्यय हेतु स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मद से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों के लिए 6.00 लाख रुपये (छ: लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹6,00,000 (छ: लाख रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹6,00,000 (छ: लाख रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-796-जनजातिये क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-१-उपशीर्ष-0131-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR/5031 विपत्र कोड-P2401007960131, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित 5.5242 करोड़ रु० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 वि० दिनांक- 31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

सुरक्षा

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

158(ओवरटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 18-10-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(१५.१०.१३)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

158(ओवरटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 18-10-2013

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार पटना/निदेशक, (पी०पी०एम०)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन/निदेशक, वामेति, बिहार पटना/कुलपति, राज्यकृ०विभिन्न, पूसा समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विभिन्न, सबौर भागलपुर/नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग/संबंधित परियोजन निदेशक, आत्मा/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशास्त्र पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. : उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० प्रबुंधक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(१५.१०.१३)
सरकार के संयुक्त सचिव।